

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
नारणाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट, निवासी पनावड़ा, तहसील बायतू हाल निवासी मूढणों की ढाणी (उण्डू) तहसील शिव, जिला बाड़मेर		करनाराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट, निवासी सवाउ पदमसिंह (गिड़ा) हाल निवासी नया उण्डू (राजबेरा) तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (4)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212)

मुकदमा नम्बर 133 / 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
02.12.2021	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री हरिराम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 06.12.21 को पेश हो।	
06.12.21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थीगण के तामिल सुदा नोटिस पेश किये, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से मूल वाद के अधिवक्ता द्वारा अफरटेकिंग ली गई। पत्रावली वाले वकालतनामा व अंतरिम बहस हेतु आइन्दा दिनांक 10.12.21 को पेश हो।	
10.12.21	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तया होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा दिनांक 22.12.21 को पेश हो।	

सहायक कलक्टर  
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर  
(SDO) शिव



तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27.4.26

पत्रावली पेश / वाकुलाय अनुपरिचित ।  
पत्रावली में उभाकी पैरवी हेतु न्यायालय  
सभ्य में उभयपक्ष व अधिवक्तागण को  
रुक-रुककर आवाजे दी जाने के बावजूद  
कोर्ट में उपस्थित नहीं । अतः पत्रावली में  
उभाकी पैरवी नहीं होने तथा अनुपरिचित  
रहने पर अद्रम हाजरी व अद्रम पैरवी  
में खारिज की जाती है ।  
पत्रावली नंबर से कम होकर दायित्व  
दफ्तर हो ।

सहायक कलक्टर  
शिव (बाड़मेर)